कार्यालय प्रति	[illegible]
15.6.16	[illegible] के पश्चात भी पक्ष कारण से [illegible] नहीं हो सका। अतः पत्रावली पुनः [illegible] को पेश हो। [illegible]
11.7.16	आज पत्रावली [illegible] प्रार्थी वादिनी निजामती एवं उनके अधिभाषक के प्रार्थना पत्र कार्यालय से तलब की गई। वादी की खेद से प्रा० पत्र आदेश 22 नियम 3 ज० दी० प्रस्तुत कर वादी सं 1 मकानदारों की मृत्यु दिनांक 22.12.13 को हो चुकी है, जिसके वारिसान को उसके स्थान पर पक्षकार बनाया जाये, उसकी पत्नी श्री निजामती महतो ही पक्षकार हो।
	एक अन्य प्रा० पत्र आदेश 23 नियम 3 ज० दी० प्रस्तुत कर मुकदमा इसी स्टेज पर वापस लेते हुए निबंधन किया है।
	हमने उक्त दोनों प्रा० पत्रों पर वादिनी एवं उनके अधिभाषक को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मा० राजस्व मण्डल अपील से निराकरण के निर्देश के बाद प्रस्तुत है, वादी ने प्रा० पत्र 022 R.3 CPC के तहत धारा 5 मियाद अधि० प्रस्तुत किया है। अतः विपक्षियों की अनापत्ति को समाधोजित किया जाकर प्रा० पत्र 0.22 R.3 CPC स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रकरण में वारिसान को पक्षकार प्रतिस्थापन किया जाता है। [illegible] के अनुरोध पर [illegible] किया जाता है। [illegible] सेवा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:29:09 IST
Reason: SelfAttested

लोक अदालत
उपमण्डल अधिकारी एवं
पदेन सहा० कलक्टर
[illegible]

(निर्मल कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक)

Scanned with CamScanner